**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़**
**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001**
**Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in** फोन न0 (0135) 2713551
**election09@gmail.com** फोन न0 (0135) 2713552

**संख्या– 300 / XXV–12(9) / 2018** देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2020

सेवा में,

श्री इन्द्रेश सचदेवा,
लेन–12, गोविन्द नगर,
पो0ऑ0 कण्डोली,
सहत्रधारा मार्ग, देहरादून।

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 25/02/2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 26 फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार कर प्रेषित की जा रही है–

विन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
विन्दु संख्या–2a,d से सम्बन्धित सूचना 5 (पांच) पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित है।
विन्दु संख्या–2b से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
विन्दु संख्या–2c से सम्बन्धित सूचना 2(दो) पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित है।
विन्दु संख्या–2e,f से सम्बन्धित सूचना हेतु अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

**अपीलीय अधिकारी का पता–**
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B. S. Rawat
**(बसन्त सिंह रावत)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

**पृ0संख्या 300 / XXV–12(9) / 2008, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि– समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त अनुरोधकर्ता के पत्र दिनांक 25.2.2020 की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से प्रेषित कि विन्दु संख्या–2e,f से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B. S. Rawat
**(बसन्त सिंह रावत)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

26-2-2020
प० सं० 43

सेवा में,

सी.पी.आई.ओ.,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, देहरादून

**विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना**

जब भी राज्य में चुनाव प्रक्रिया होती है तो चुनाव आयोग द्वारा, विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत, अधिकांश सरकारी कर्मचारियों का विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों के लिए प्रतिनियुक्ति पर अधिग्रहण किया जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, निम्न सूचना उपलब्ध कराएं –

1) **अप्रैल 2019 के दौरान** राज्य में हुई **लोकसभा सामान्य निर्वाचन** प्रक्रिया के शान्ति पूर्ण निबटान हेतु क्या केन्द्र सरकार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को विशेष फण्ड मिले थे?
   a. यदि 'हाँ', तो क्या वह फण्ड चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले मिले थे अथवा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत?
   b. कितना फण्ड आवंटन हुआ था?
   c. यह फण्ड किस दिनांक को प्राप्त हुआ था?
2) क्या उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान अधिग्रहण किये सरकारी कर्मचारियों को भी कोई TA / DA दिया जाता है?
   a. यदि 'हाँ', तो क्या यह राशि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने फण्ड से दी जाती है अथवा सरकारी कर्मचारी जिस कार्यालय में कार्यरत है उसके द्वारा अपने फण्ड से?
   b. यदि 'हाँ', तो क्या यह राशि बिंदु 1b में पहले ही शामिल थी अथवा केन्द्र सरकार ने इसके लिए अलग से पुनः फण्ड जारी किया?
   c. यदि 'हाँ', तो TA / DA का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को कितने समय में किए जाने का प्रावधान है?
   d. यदि 'हाँ', तो TA / DA का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को किस वेतन आयोग में लागू सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा ? - छठे / सातवें वेतन आयोग
   e. यदि 'हाँ', तो कृपया बताए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ **अप्रैल 2019 के दौरान** हुई **लोकसभा सामान्य निर्वाचन** प्रक्रिया में तैनात विभिन्न **विडियो निगरानी टीम** को दिए जाने वाले TA / DA का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को कब किया गया? बिल संख्या व दिनांक सहित किस टीम को कितनी राशि का भुगतान किया गया?
   f. यदि TA / DA का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को अभी तक नही किया गया तो कारण भी अवगत कराएं। क्या बिंदु 1c के मध्यनज़र, इस विलम्ब के लिए कोई ब्याज भी देने का प्रावधान है?

दिनांक - 25 फरवरी 2020

संलग्न – ` 10/- का पोस्टल आर्डर सं. 51F 642755

( इन्द्रेश सचदेवा )
लेन 12, गोविन्द नगर,
पो.ऑ. कंडोली,
सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून

संख्या 773 /XXV–08/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 12 अप्रैल, 2014

विषय– लोक संभा सामान्य निर्वाचन–2014, निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 098/XXV-38(1) /2008 दिनांक 06 फरवरी, 2009 के साथ प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2008/EPS दिनांक 09 जनवरी, 2009 एवं पत्र संख्या–750/XXV-38-1(2)/2008 दिनांक 20 अप्रैल 2009 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता की दरें अपने पत्र संख्या–464/INST-PAY/20141-EPS दिनांक 28 फरवरी, 2014 (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:–

| क्र. स. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पारिश्रमिक की न्यूनत्तम धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|
| 1. | सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट | ₹1500/– एकमुश्त |
| 2. | पीठासीन अधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक | ₹350/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए |
| 3. | मतदान अधिकारी/मतगणना सहायक | ₹250/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | ₹150/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए |
| 5. | लंच पैकेट/हल्का नाश्ता | ₹150/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन |
| 6. | वीडियो सर्विलांस टीम,वीडियो व्यूविंग टीम,अकॉउन्टिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग,कन्ट्रोल रूम और कॉल सेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सेल। | श्रेणी–I/II (₹1200/– एकमुश्त)<br>श्रेणी–III (₹1000/– एकमुश्त)<br>श्रेणी–IV (₹200/– प्रतिदिन) |
| 7. | इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर | ₹1200/– एकमुश्त |

उपरोक्त दरें मतदान/मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिस कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

2.1– उक्त धनराशि का भुगतान मतदान/मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिक (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन / संचालन हेतु मतदान/मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार

–क्रमशः 2

आयोग द्वारा नियत दर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

2.2– निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अनुमन्य अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान/मतगणना कार्मिक अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय से जिस समय और तिथि में प्रस्थान कर उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान/स्थानों पर निर्वाचन के पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचा है। इसी प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केन्द्र पर सील्ड EVMs तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचने तक की अवधि को भी तदनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

2.3– उक्त कालवधि में आवागमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास/कार्यालय मुख्यालय से निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुँचने और पूर्वाभ्यास–मतदान/मतगणना की समाप्ति के पश्चात पुनः अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय वापस जाने के लिए **सामान्य रूप से अनुमन्य वाहन किराया देय होगा** किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा में कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई आनुसांगिक व्यय आदि देय नहीं होगा।

2.4– मतदान/मतगणना डयूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

3– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कार्मिकों को पूर्व में देय लंच/हल्का नाश्ता की दरें भी पुनरीक्षित की गई है और पुनरीक्षित दरों के अनुसार कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ₹150/– कार्मिक की दर से नकद भुगतान किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3.1– मतदान/मतगणना डयूटी हेतु तैनात प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/निर्वाचन सामग्री प्राप्ति/ मतदान एवं मतगणना के दिनांक पर पैक लंच/ हलका नाश्ता अनुमन्य कराया जाना है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि द्वितीय Randomization के पश्चात किसी भी मतदान कार्मिक को मतदान पार्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप आयोजित निर्वाचन के पूर्वाभ्यास, तत्पश्चात मतदेय स्थल के लिए तैनाती के फलस्वरूप निर्वाचन सामग्री आदि की प्राप्ति और मतदान की समाप्ति के पश्चात वापस संग्रह केन्द्र पर लौटने तक कुल वास्तविक दिवसों के आधार पर संबंधित कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जायेगा। कदाचित यदि पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को ₹150/– प्रतिदिन की दर से उक्त प्रयोजन हेतु नकद भुगतान किया जाय। मतगणना डयूटी हेतु तैनात कार्मिकों को मतगणना दिवस पर पैकं लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाय। उक्त सुविधा आरक्षित डयूटी में तैनात कार्मिकों को भी नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी।

3.2– मतदान/मतगणना हेतु तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों यथा मोबाइल पार्टी, होमगार्ड , फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल, एन.सी.सी. सीनियर कैडेट, भूतपूर्व सैनिक एवं सी.पी.एफ आदि को भी पैक लंच/ हल्का नाश्ता की उक्त सुविधा नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी। इस संबंध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि का आगणन करते हुए समय पर अपेक्षित धनराशि पुलिस

–क्रमशः 3

विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4— निर्वाचन ड्यूटी में तैनात समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेटों को रूपये—1500/—मात्र की धनराशि एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

5— प्रस्तर—2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या—2, 3 एवं 4 एवं प्रस्तर 2.3 में उल्लिखित वाहन किराया के रूप में व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या—05, लेखाशीर्षक—2015 निर्वाचन आयोजनेत्तर, 105—संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 03—सामान्य निर्वाचन, 04—यात्रा व्यय की मानक मद से तथा, प्रस्तर—2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या—1, 5,6 एवं 7 में उल्लिखित मदों से संबंधित व्यय होने वाली सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षक की 08—कार्यालय व्यय की मानक मद से किया जायेगा।

6— भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को 80% टीए/डीए का भुगतान अग्रिम के रूप में तथा शेष 20% धनराशि का भुगतान निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाय। पैक लंच/हल्का नाश्ता के रूप में अनुमन्य सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाय।

अतः कृपया उक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

संख्या 773/XXV—08/2014 तद् दिनॉकित।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. विभागीय प्रति।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्राप्ति का दिनांक— 04/03/14
रजिस्टर क्रमांक— 135 पत्रावली संख्या—

# भारत निर्वाचन आयोग
# ELECTION COMMISSION OF INDIA

EPABX 011-23717391-98
Fax 011-23713412/23739944
Website: www.eci.nic.in

Jt. C.E.O
Pl. discuss,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
04-3-14

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 464/INST-PAY/2014-EPS

Dated: 28th February 2014

To

S.O. Ele.

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

**Subject:-** **Fixing uniform rate of remuneration to the officers/officials deployed on election duty - Regarding.**

Sir/Madam,

In supersession of the Commission's letter No. 464/INST/2009/EPS, dated 9th January, 2009, and in order to bring uniformity in payment of remuneration to polling/counting personnel, the Commission has recommended the following rates of remuneration to be paid to the officers/officials deployed on election duty:-

| Sl. No. | Designation of Officers/Officials | Minimum Rate of remuneration (in Rupees) |
|---|---|---|
| 1. | Sector Officer/Zonal Magistrate | 1500/- lump sum |
| 2. | Presiding Officer/Counting Supervisor | 350/- per day or part thereof |
| 3. | Polling Officers/Counting Asstt. | 250/- per day or part thereof |
| 4. | Class-IV | 150/- per day or part thereof |
| 5. | Packed lunch and/ or light refreshment | 150/- per head per day |
| 6. | Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Accounting Team, Expenditure Monitoring Control Room and Call Center Staffs, Media Certification and Monitoring Committee, Flying Squads, Static Surveillance Team, Expenditure Monitoring Cell | Class – I/II (Rs. 1200/- lump sum)<br>Class – III (Rs. 1000/- lump sum)<br>Class – IV (Rs. 200/- per day) |
| 7. | Income Tax Inspector | Rs. 1200/- lump sum |
| | **The abovementioned rates are equally applicable to police personnel actually deployed on polling booths/counting centers.** | |

2. The above rates are payable to the staff for attending training classes, collecting polling materials, etc. and also for attending duty on the polling day/counting day.

3. The Commission has also directed that staff deployed at all polling stations/counting centers may be provided with packed lunch and or light refreshment at the rate of Rs. 150/- per head per day. In case of difficulty in providing packed lunch, a cash payment @ Rs. 150/- per head may be made.

4. The above rates as recommended by the Commission are **minimum rates**. The States/Union Territories, which are paying more than the minimum rates recommended by the Commission, may continue to pay at the higher rates. These rates will come into force prospectively and will have no retrospective effect.

5. The police personnel deployed on election work on poll day/Counting day including mobile Parties/Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/NCC (senior) Cadets/Ex-Army/CPF may be provided with packed lunch/refreshment or payment in lieu thereof as is being given to polling/counting personnel.

6. The expenditure incurred on this account will be borne in the following manner:

(i) In case of election to the House of People: 100% by the Union Government.

(ii) In case of election to the Legislative Assembly: 100% by the State Government concerned.

(iii) In case of simultaneously election to the House of the People and the State Legislative Assembly: The expenditure will be shared between the Central and the Sate Government on 50:50 basis.

7. Kindly acknowledge the receipt of this letter immediately.

Yours faithfully,

(Sumit Mukherjee)

Secretary

सचिवालय के इरला चैक्स अनुभाग द्वारा किया जाना है की सचिवालय में कार्यावधि से सम्बन्धित कालातीत दावा की पूर्व लेखा परीक्षा, इरला चैक्स विभाग में नियुक्त वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

(5) सचिवालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ते के कालातीत दावों का पूर्व लेखा परीक्षा सचिवालय के उसी विभाग द्वारा की जायेगी जिस विभाग में कर्मचारी/अधिकारी उस समय कार्यरत था जिस समय का दावा प्रस्तुत किया है ।

(6) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-1 प्रस्तर 74 (बी) (5) के नीचे अंकित नोट-2 में यह प्राविधान है कि यदि यात्रा का दावा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे कालातीत यात्रा भत्ता दावे का भुगतान विलम्ब के कारणों की विस्तृत जाँच किये बिना वित्त विभाग के विशेष स्वीकृति के कारण यथोचित नहीं है तो उदारदायी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी । इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसे कालातीत यात्ता भत्ता दावों के भुगतान के सम्बन्ध में दावों की पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग की विशेष स्वीकृति देने के लिए प्रशासनिक विभाग स्वयं सक्षम होंगे । उक्त नियम की शेष अर्थात् विलम्ब के कारणों की विस्तृत जाँच कराये जाने तथा उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने आदि की व्यवस्था यथावत होगी ।

(7) मुझे यह भी निवेदन करना है कि कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रण अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, दावों को पूर्व सम्परीक्षा हेतु भेजने से पूर्व वह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि दावे नियमानुसार सही हैं / देय हैं और उनका भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है । वे यह भी देखेंगे कि दावों के भुगतान में विलम्ब किन परिस्थितियों में हुआ और यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान में हुये विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है । उनके द्वारा सम्बन्धित दावे पर उपरोक्त आशय का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जायेगा । वेतन एवम् भत्तों के अवशेष दावों के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-1 प्रस्तर 144 के प्राविधान का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा तथा सहायक लेखाधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष को कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जायेगा ।

(9) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग—1 में संशोधन बाद में किये जाएँगे ।

भवदीय
हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव

संख्या ए-1-2923/दस-3161-65

प्रेषक,

श्री हरिगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर 1985

**विषय—उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाया जाना ।**

महोदय,

महालेखाकार द्वारा शासन को यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार के लेखों की पूर्व लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अभिनवीकरण कर दिया गया है । फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय से कुछ अभिलेखों और रजिस्टरों के रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, जिससे उनके कार्यालय में कालातीत दावों की पूर्व लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया गया है ।

(2) शासन द्वारा महालेखाकार के उपर्युक्त सुझाव पर उनके द्वारा वर्णित परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासन के विरुद्ध कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा महालेखाकार द्वारा किये जाने का कार्य उनसे हटा लिया जाये तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभागाध्यक्षों के कार्यालय में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा और सहायक लेखाधिकारी सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों को कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा किये जाने का दायित्व सौंप दिया जाये । जिन विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में उत्तर प्रदेश वित्त, एवं लेखा सेवा अथवा सहायक लेखाधिकारी सेवा में अधिकारी नियुक्त नहीं हैं, उनमें कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा करने का दायित्व का निर्वहन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । वे ऐसे दावों की विस्तृत जाँच अपने कार्यालय में नियुक्त लेखा कर्मचारियों के माध्यम से सुनिश्चित कर लेंगे ।

(3) ऐसे अधिकारियों जिनकी नियुक्ति/जिनका स्थानान्तरण विभिन्न विभागों में होता रहता है के कालातीत दावों की पूर्व लेखा परीक्षा उसी विभागाध्यक्ष अथवा उसके कार्यालय में नियुक्त उत्तर प्रदेश एवं वित्त लेखा सेवा अथवा सहायक लेखाधिकारी संवर्ग, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिस विभाग में वे उस अवधि में कार्यरत थे जिस अवधि का दावा है ।

(4) सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों, जिसके वेतन भत्तों का भुगतान

भवदीय
**विसर्जन राम**
संयुक्त सचिव